लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2446

01 अगस्त, 2016 को उत्तर के लिए

स्टेनलेस स्टील का आयात

2446. श्री गोकाराजू गंगा राजू:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेनलेस स्टील के बर्तनों और कटलरी के विनिर्माता और निर्यातक विभिन्न प्रकार की घटिया/सस्ती स्टेनलेस स्टील के आयात पर हाल में लगाए गए प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे कच्चे माल की कमी हो जाएगी और इस क्षेत्र की लागत बढ़ जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विनिर्माताओं और निर्यातकों ने अपने प्रचालनों के आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद न होने के कारण इस क्षेत्र की अनेक फर्मों को बंद करने की चेतावनी दी है जिससे देश में बड़े स्तर पर बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू स्तर पर आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) से (घ): सरकार को तमिलनाडु स्टेनलैस स्टील मर्चेंट एण्ड मेन्यूफेक्चरर्स एसोसिऐशन, ऑल इंडिया स्टेनलैस स्टील इम्पोरटर्स एसोसिऐशन और मेटल एण्ड स्टेनलैस स्टील मर्चेंट्स एसोसिऐशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुऐ है जिनमें स्टेनलैस स्टील प्रोडक्ट (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर, 2016 के संबंध में विभिन्न मुद्दे उठाये गये है और साथ ही इसे लागू करने की तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

स्टेनलैस स्टील प्रोडक्ट (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर, 2016 स्टेनलैस स्टील शीट के उत्पादों के उत्पादन, ब्रिकी, वितरण और आयात को निषेध नहीं करता है। यह केवल यह कहता है कि उत्पाद में बीआईएस का स्टेन्डर्ड मार्क अंकित होना चाहिए, जिसके लिए भारत और विदेशों में उत्पादकों द्वारा बीआईएस से लाईसेंस प्राप्त करना अपेक्षित होता है। तथापि, देश में स्टेनलैस इस्पात उद्योग के हित को सुरक्षित बनाने के लिए गौण और दोषमुक्त उत्पाद का उत्पादन, ब्रिकी और वितरण निषेध है।

10 जून 2016 को प्रकाशित आदेश प्रकाशन की तिथि से 3 माह बाद अर्थात 10 सितम्बर, 2016 से लागू होगा।

***